प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23–05–2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहें व्यक्तियों के विरुद्व की गई कार्यवाही:–

अवगत कराना हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी को अपने–अपने क्षेत्रो में बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्व एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। जिसके कम में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियो द्वारा अपने–अपने नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुये बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के चालान किये गये तथा भारी मात्रा में सम्मन शुल्क वसूल किया गया। जनपद पुलिस द्वारा की गई कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैं:–

नगर क्षेत्र/देहात क्षेत्र में की गई कार्यवाही का विवरण:–

- बिना मास्क के चालान:–140
- वसूला गया सम्मन शुल्क:–34300/–रुपये

नोट– जनपदवासियों से अपील की जाती है कि जब भी घर से निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें अन्यथा उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

प्रेस नोट दिनांक 23.05.21

क्राइम ब्रांच एवं थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये लाखों रूपये के सामान (56 मोबाईल फोन, 25 मोबाईल चार्जर, 03 टेक्सिको चार्जर, 05 ईयर लीड आई फोन, 04 डाटा केवल), 05 साडियॉ व अवैध असलहा/कारतूस बरामदः–

अवगत कराना है कि दिनांक 7/8–03–2021 की रात्रि में पेट्रोल पम्प के सामने कपडे की दुकान में चोरी होने पर दुकान मालिक तनबीर पुत्र जरीफ अहमद नि0 सयद माजरा द्वारा थाना गागलहेडी, सहारनपुर द्वारा थाना गागलहेडी पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 55/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 26.04.21 को यादव मार्किट कस्बा गागलहेडी में मोबाईल की दुकान में चोरी होने पर दुकान मालिक अमरीश यादव पुत्र स्व0 धर्मपाल यादव निवासी खजूरी अकबरपुर, थाना गागलहेडी सहारनपुर द्वारा थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 113/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एंव बरामदगी हेतु थाना गागलहेडी व क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में दिनांक 22–05–2021 को अपर पुलिस अधीक्षक, नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में क्राईम ब्रांच एवं थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मण्डी तिराहा ग्राम रूपडी के पास से उपरोक्त घटना को कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त क्रमशः 1–अंकित कुमार पुत्र शेलचन्द निवासी रूपडी जुनारदार थाना नागल, सहारनपुर 2– सचिन कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी रूपडी जुनारदार थाना नागल जनपद सहारनपुर को चोरी किये गये लाखों रूपये के सामान व अवैध असलहा/कारतूस सहित समय 13.30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का 01 अन्य साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 127/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः–

1–अंकित कुमार पुत्र शेलचन्द निवासी रूपडी जुनारदार थाना नागल,सहारनपुर।
2–सचिन कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी रूपडी जुनारदार थाना नागल,सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

1–56 मोबाईल फोन (39 सैमसंग कम्पनी, 14 लावा कम्पनी , 02 माईक्रोमैक्स कम्पनी, 01 एमटीआर कम्पनी)।
2–25 मोबाईल चार्जर रोबोटेक कम्पनी।
3–03 मोबाईल चार्जर टेक्सिको कम्पनी।
4–05 आईफोन ईयर लीड।
5–04 डाटा केवल।
6–05 साडियां **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 55/21 धारा 380 भादवि)**।
7–02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अंकित उपरोक्त ने बताया कि मै लगभग एक डेढ–महीने पहले यादव मार्किट में अमरीश मोबाईल कम्यूनिकेशन पर अपना मोबाईल ठीक कराने के लिये आया था। इसके बाद मैने अपने साथी सचिन पुत्र राजेन्द्र तथा आकाश पुत्र प्रवीण उर्फ बल्लू से मोबाईल की दुकान में चोरी करने की बात कही व लाखों रूपये का सामान मिलेगा और किसी को पता भी नही चलेगा। इसके बाद हम लोगों ने शनिवार की रात्रि का प्रोग्राम बनाया क्योंकि उस दिन 02 दिन को लॉकडाउन लगा था, जिस कारण से घटना को अजांम दिया। इसके अलावा हम लोगों द्वारा लगभग ढाई महीने पहले कस्बा गागलहेडी में पेट्रोल पम्प के पास कपडें की दुकान में भी चोरी की थी। गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी है।

फरार अभियुक्त का नामः–

1–आकाश पुत्र प्रवीण उर्फ बल्लू निवासी ग्राम रूपडी जुनारदार थाना नागल जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः–

1–मु0अ0सं0 113/21 धारा 380 भादवि थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
2–मु0अ0सं0 55/21 धारा 380 भादवि थाना गागलहेडी, स0पुर।
3–मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
4–मु0अ0सं0 127/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–थानाध्यक्ष श्री सतेन्द्र कुमार राय थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
2–उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
3–उ0नि0 श्री गम्भीर सिहं थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
4–उ0नि0 श्री सुबोध कुमार थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
5–उ0नि0 श्री जयबीर सिंह प्रभारी स्वाट टीम, मय टीम।
6–उ0नि0 श्री अजय प्रसाद गौड प्रभारी अभिसूचना विंग, मय टीम।
7–उ0नि0 श्री अजब सिंह प्रभारी सर्विलान्स सैल, मय टीम।
8–है0का0 632 उत्तम राठी थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
9–का0 148 अनुज सिरोही थाना गागलहेडी, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 23.05.2021

थाना फतेपुर पुलिस पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 22.05.2021 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा गंदेवडा बस अडडे से अभि01–अंकुश पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम नानका थाना फतेहपुर सहारनपुर 2–सुभाष पुत्र हरज्ञान निवासी बहेडा खुर्द थाना फतेहपुर सहारनपुर को 05–05 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 240/21, 241/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 22.05.2021 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा ग्राम अल्लीपुर सम्भालकी नदी पुल से अभियुक्त शाहरूख पुत्र न्याजू निवासी चौबारा थाना फतेहपुर सहारनपुर को एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 243/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना तीतरों पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 22.05.2021 को थाना तीतरों पुलिस द्वारा कब्रिस्तान के पास तीतरों से अभि0 1–बबलू उर्फ मुकेश पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना सरसावा सहारनपुर 2–मोनू पुत्र अशोक निवासी मौहल्ला छत्ता कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर को 02–02 बोतल एवं 02–02 हाफ अंग्रेजी शराब यू0पी0 मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 66/21, 67/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 22.05.2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा सिकरी पटनी चौराहा से अभि0 रियाज पुत्र रिजवान निवासी गली नम्बर–01 अहमद कालोनी चिलकाना अडडा थाना चिलकाना सहारनपुर को एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 137/21 धारा4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
सहारनपुर।